

27-4-22

पत्रावली आज पेश हुई। वादी वकील  
 उपस्थित। न्यायालय समय में रुक  
 रुक कर बार बार आज्ञा लेवाची  
 गयी। परन्तु न्यायो वादी वकील  
 और न्यायी स्वयं वादी उपस्थित  
 हुये। अतः पत्रावली सिविल प्रक्रिया  
 संहिता के आदेश 9 नियम 3 (अदम  
 पुरवी अदम दायरी) के तहत रकारिज  
 की जाती है। पत्रावली फ़ैसल में शुमार  
 हो गम्बर से कम की जाकर दारिजल  
 दफ्तर हो।

Wp

